

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-50/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० प्रियंका, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 01.05.2024 से 27.10.2024 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिनों को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-50/2025- 797(2) पटना, दिनांक 20/5 / 2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/ डा० प्रियंका, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव